प्रपत्र-VII-क

<u>कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत</u>

<u>भवन की योजना के अनुमोदन</u>

<u>उपविधि संख्या- 8(4)</u>

आप के आवेदन संख्या- 116 तिथि- 11.04.2016 के संदर्भ में

मेसर्स जगत होम्स एण्ड रिसीर्ट्स प्रा0 लि0, पता-पहली मंजिल, जुगल स्मृति कैम्पस, खाजपुरा, बेली रोड, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यावसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनर्निर्माण

(घ) विद्‌यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के .116 प्लौट नं0- 486, 487 एवं 483, खाता नं0- 32, 25, 23 एवं 1, तौजी नं0-बिहार सरकार, थाना नं0- 23, मौजा- सगुना, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के बावत निम्नलिखितशर्तो/निर्बधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-.147./16-17 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 19768.29 वर्ग मीटर एवं 2B+G+9 की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायाक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 7633.08 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 10% का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 64.02 मी0 चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत

Scanned by CamScanner

क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 0.0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(7) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(8) इस उपबंध के अधिन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बावत साक्ष्य नही मानी जाएगी।

(9) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः [illegible] जायेगी।

(10) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 [illegible] प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

(11) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई कागजात या तथ्य छुपाए गये या असत्य पाये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति रद्द करते हुए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(12) भवन निमार्ण के पूर्व विहित प्रपत्र में भवन निर्माण करने की सूचना प्राधिकार को दी जायेगी।

(13) नक्शे में वर्णित सड़क चौडीकरण का भूपट्टी को छोडकर ही भवन की चहारदीवार का निर्माण किया जायेगा।

(14) भवन के निर्माण के बाद भवन में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज में वर्णित प्रपत्र के साथ कम्पलिसन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि ऐसा नही होता हैं तो प्राधिकार स्वीकृत नक्शा को रद्द करने की कार्रवाई कर सकता है।

(15) प्रधिकार के बाईलॉज के अन्तर्गत वर्णित ऑक्यूपेन्सी सर्टीफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(16) निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा। विचलन पाए जाने पर लाईसेन्सी इंजीनियर/आर्किटेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा तथा उनके लाईसेन्स की रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(17) अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्मित संरचना हैं जिसे तोडकर 6 माह के अन्दर हटाने का शपथ पत्र दिया गया हैं तो उसका समयावधि में अनुपालन कृढता से किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(19) वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(20) महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

(21) बाईलॉज के उप-विधि 2014 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड के 10% भाग में पेड लगाना सुनिश्चित करेंगें।

(22) भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले भवनों के भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जायेगा।

(23) पब्लिक बिल्डिंग में [illegible] (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।

(24) स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने के लिए हैं का उल्लेख किया जाय।

(25) निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरिक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सकें।

[illegible] पट्टी में कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगें एवं छोड़े गये [illegible] कर चाहर दिवारी का निर्माण करेंगें।

कनीय अभियंता	सहायक अभियंता	नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत	नगर परिषद दानापुर निजामत	नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- ......147....... दिनांक ....1/11/2016.........

प्रतिलिपि:- मेसर्स जगत होम्स प्रा0 लि0, पता-पहली मंजिल, जगत [illegible] कैम्पस, ख्वाजपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible]

नगर परिषद [illegible]

Scanned by CamScanner

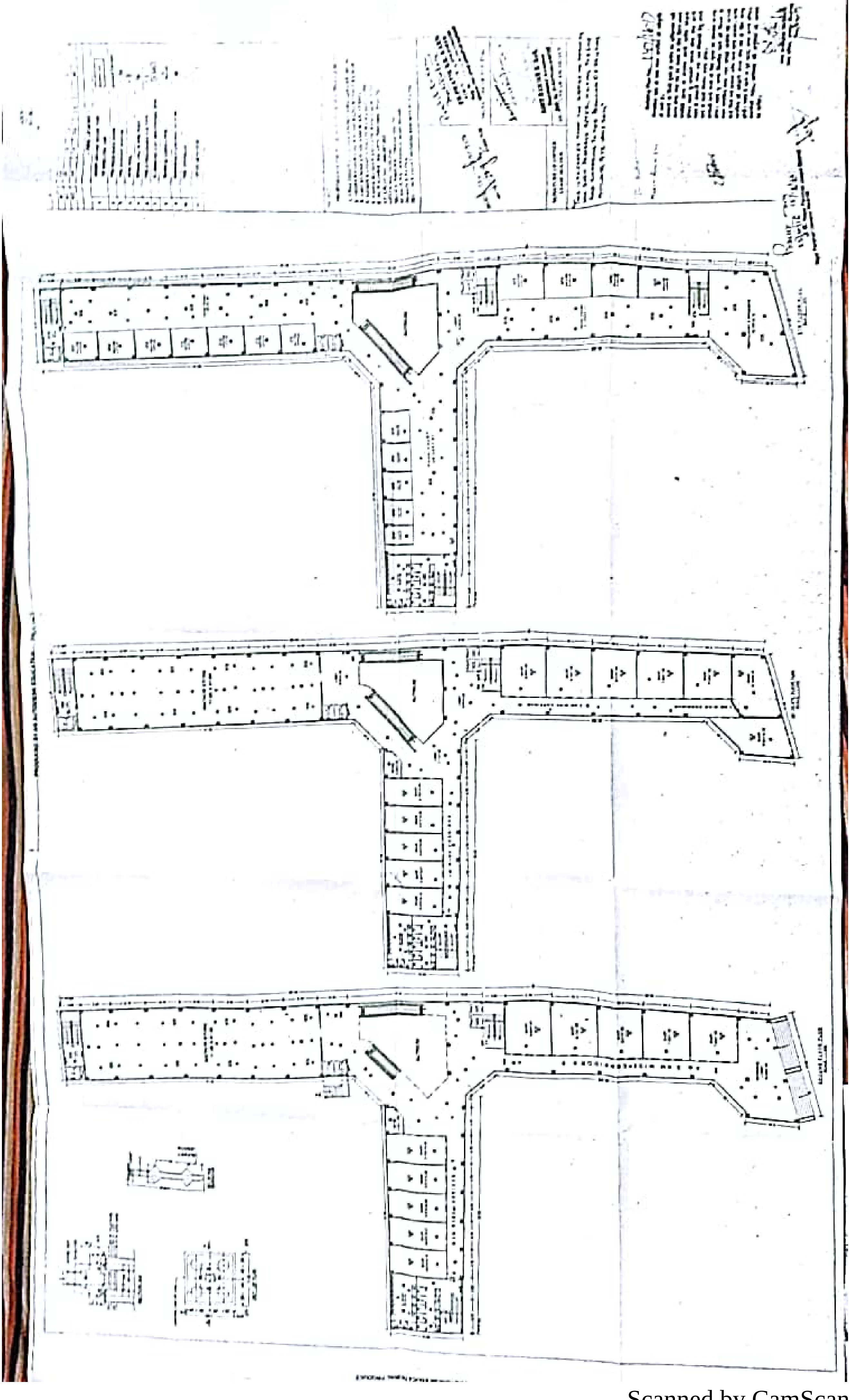

Scanned by CamScanner

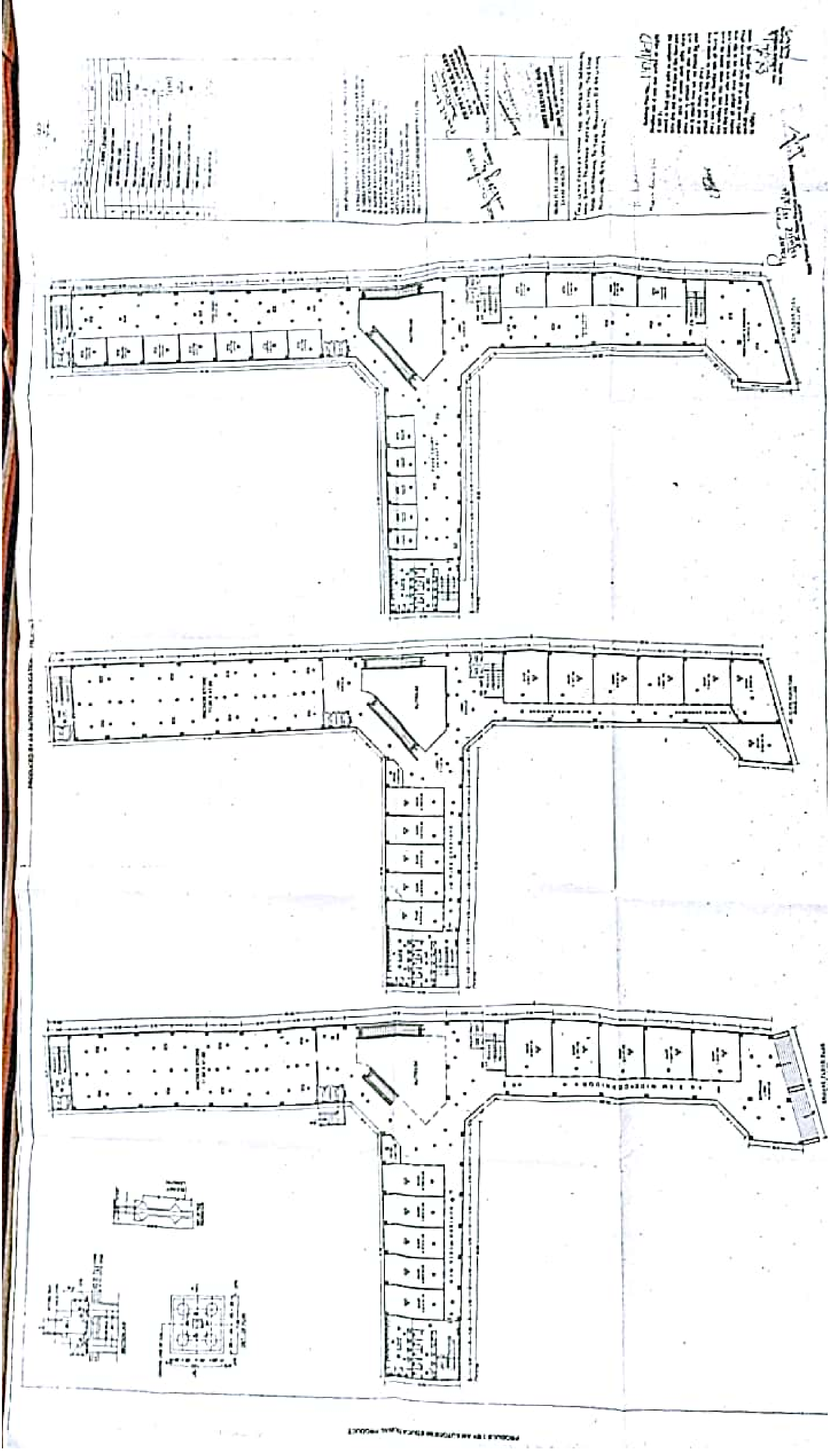

Scanned by CamScanner